

न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक०क्र० 879/12

संस्थित दिनांक-06.11.12

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद

जिला-भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

विरुद्ध

1. दीपू उर्फ दीपेन्द्र पुत्र वीरेन्द्रसिंह गुर्जर उम्र 24 साल
2. रिकू पुत्र शिवनाथसिंह गुर्जर उम्र 24 साल
3. विनोद पुत्र रनवीरसिंह गुर्जर उम्र 25 साल
निवासीगण अर्जुन कालोनी गोहद
4. जोगेन्द्रसिंह पुत्र गब्बरसिंह गुर्जर उम्र 25 साल
निवासी ग्राम बघराई थाना गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

.....अभियुक्तगण

—:: निर्णय ::—

{आज दिनांक 11.10.2017 को घोषित}

अभियुक्तगण पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 452, 324 सहपठित धारा 34 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 17.09.12 को सुबह 10:30 बजे फरियादी के मकान सदर बाजार गोहद में सामान्य आशय के अग्रशरण में उपहति कारित करने की तैयारी के साथ फरियादी उस्मान खां के घर में प्रवेश कर ग्रह अतिचार कारित किया तथा घातक हथियार लाठी लुहांगी से चोट पहुंचाकर स्वेच्छा उपहति कारित की।

2. प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत व उल्लेखनीय है कि फरियादी का अभियुक्तगण से राजीनामा हो जाने के कारण प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध संहिता की धारा 294, 506 भाग दो के संबंध में आरोप का उपशमन किया गया है। अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 452, 324 के संबंध में निष्कर्ष दिया जा रहा है।

3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि फरियादी अरमान खान दिनांक 17.09.12 को सुबह 10:30 बजे दुकान जाने के लिए घर में तैयार हो रहा था, इतने में पुराने झगड़े की बात से अभियुक्तगण मकान के अंदर घुस आए और अश्लील गालियां उसकी बहन चांदनी की उपस्थिति में देने लगे। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो अभियुक्त दीपू उर्फ दीपेन्द्र ने उसे लुहांगी

मारी जो माथे पर लगी, रिकू, विनोद ने पीठ में लाठी मारी, जोगेन्द्र ने लातघूंसां से मारपीट की, मकान के अंदर से खीचकर बाहर ले जाने लगे तब पिल्लू बरूआ और कल्ली खान आ गए और मौहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए तो अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देकर चले गए। उक्त आशय की रिपोर्ट से अप०क्र० 209/12 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया, नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, अभियुक्तगण को गिर० कर गिर० पत्रक बनाए गए, जब्ती कर जब्ती पत्रक बनाया गया, बाद अनुसंधान अभियोगपत्र पेश किया गया।

4. अभियुक्तगण को पद क्र० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध साक्ष्य में कोई तथ्य न आने से दप्रस की धारा 313 के अधीन परीक्षण नहीं कराया गया।

5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं –

1. क्या आरोपीगण ने दि० 17.09.12 को सुबह 10:30 बजे फरियादी के मकान सदर बाजार गोहद में सामान्य आशय के अग्रशरण में उपहति कारित करने की तैयारी के साथ फरियादी उस्मान खां के घर में प्रवेश कर ग्रह अतिचार कारित किया ?

2. क्या उक्त दिनांक तथा समय पर फरियादी उस्मान खां के शरीर पर कोई चोट मौजूद थी, यदि हाँ तो उसकी प्रकृति ?

3. क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी को घातक हथियार लाठी लुहांगी से चोट पहुंचाकर स्वेच्छा उपहति कारित की ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में पिल्लू अ०सा० 1, अरमान अ०सा० 2 को परीक्षित कराया गया है। तथ्यों एवं साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

7. प्रकरण में फरियादी अरमान अ०सा० 2 यह कथन करते हैं कि घटना 5 साल पहले सुबह 10-11 बजे की है, वह अपने घर पर था तभी बाहर शोर हुआ और वह घर के बाहर गया तो अभियुक्तगण लड़ाई झगडा कर रहे थे। जब उसने कहा कि यहां लड़ाई झगडा मत करो तो उससे मुंहवाद करने लगे और कहने लगे कि तुम बड़े नेता बन रहे हो, उसके बाद गाली गलोंच करके चले गए। फरियादी उक्त बात की रिपोर्ट थाना गोहद में करना बताता है। उसे आई चोटों के संबंध में यह कथन करता है कि उसी दिन सीढियों से गिरने के कारण उसे चोट आई थी जिसकी डाक्टरी

कराई थी, अभियुक्तगण द्वारा कोई मारपीट करने का कथन नहीं करता है। इस प्रकार से साक्षी द्वारा अभियुक्तगण पर अधिरोपित आरोप के संबंध में अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है इस कारण से उसे अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षविरोधी घोषित किया गया। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी यह साक्षी अभियुक्तगण के अभिकथित घटना दिनांक 17.09.12 को घर में घुस आने, गाली गलौंच करने तथा अभियुक्त दीपू द्वारा लुहांगी एवं शेष के द्वारा लातघूसों से मारपीट करने के तथ्य का सुझाव दिए जाने से स्पष्टतः इंकार करता है। साक्षी द्वारा पुलिस रिपोर्ट प्र०पी० 2 के विनिर्दिष्ट ए से ए तथा पुलिस कथन प्र०पी० 3 के विनिर्दिष्ट ए से ए भाग के तथ्य पुलिस को लिखाए जाने से इंकार किए हैं।

8. घटना का कथित चक्षुदर्शी साक्षी पिल्लू बरूआ अ०सा० 1 के रूप में परीक्षित कराया गया जो अपने अभिसाक्ष्य में कथन करता है कि वह न तो अभियुक्तगण को जानता है न हीं फरियादी अरमान को जानता है। उसके सामने कोई भी घटना होने के तथ्य से इंकार करता है। यह साक्षी भी पक्षविरोधी घोषित कर दिया गया। सूचक प्रश्नों में इस तथ्य से इंकार करता है कि घटना दिनांक 17.09.12 को जब वह सदर बाजार रोड पर खड़ा था तब अरमान के मकान से शोर शराबे के आवाज सुनाई दी। इस तथ्य से भी इंकार करता है कि चार लडके घर में घुसे मां बहन की गालियां दे रहे थे और लाठी डण्डे से मारपीट कर रहे थे। इस तथ्य से भी इंकार करता है कि उसने व कल्ली खां व मौहल्ले के लोगों ने बीच बचाव किया था। साक्षी पुलिस कथन प्र०पी० 1 में विनिर्दिष्ट ए से ए भाग पर उक्त तथ्यों को लिखाए जाने से इंकार करते हैं। इस प्रकार से प्रकरण में फरियादी एवं आहत तथा साक्षीगण के द्वारा अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिसके आधार पर अभियुक्तगण पर अधिरोपित आरोपों का लेशमात्र भी समर्थन होता हो।

9. अभियोजन की ओर से प्रकरण में राजीनामा हो जाने के कारण साक्षियों के द्वारा मामले का समर्थन न किए जाने का तर्क किया है। फरियादी अरमान अ०सा० 2 राजीनामा होना तो स्वीकार करता है किन्तु उसके कारण असत्य कथन किए जाने के सुझाव से इंकार करता है। साक्षी पिल्लू अ०सा० 1 प्रकरण में आहत भी नहीं हैं और उसके द्वारा कोई राजीनामा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही दाण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है। अभियोजन को सारवान साक्ष्य के आधार पर आरोपों को प्रमाणित करना चाहिए, अटकलों एवं अनुमानों के आधार पर दाण्डिक आरोप प्रमाणित नहीं हो सकता है। फरियादी ने घटना स्थल उसके घर के बाहर बताया है और उसे आई चोटें सीढियों पर फिसलकर गिर जाने के कारण बताई हैं। साथ ही फरियादी अरमान प्रतिपरीक्षण में पढा लिखा न होना बताता है और यह भी कथन करता है कि उसकी अभियुक्तगण ने कोई मारपीट नहीं की। इस प्रकार से अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई भी सारवान साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर अपराध प्रमाणित होता हो। अतः अभियुक्तगण के

विरुद्ध संहिता की धारा 452, 324 के अधीन आरोप प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि उन्होंने दिनांक 17.09.12 को सुबह 10:30 बजे फरियादी के मकान सदर बाजार गोहद में सामान्य आशय के अग्रशरण में उपहति कारित करने की तैयारी के साथ फरियादी उस्मान खां के घर में प्रवेश कर ग्रह अतिचार कारित किया तथा घातक हथियार लाठी लुहांगी से चोट पहुंचाकर स्वेच्छा उपहति कारित की। अतः अभियुक्तगण को संहिता की धारा 452, 324 सहपठित धारा 34 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। राजीनामा के प्रभाव से धारा 294, 506 बी के अधीन भी अभियुक्तगण दोषमुक्ति की जाती है।

10. अभियुक्तगण की जमानत भारमुक्त की जाती है। उनके निवेदन पर मुचलके निर्णय से 6 माह तक प्रभावशील रहेगा।

11. प्रकरण में जब्तशुदा मोटरसाईकिल क० एम०पी०-०७ एम०एच०-७२५१ पूर्व से सुपुर्दगी पर है अतः सुपुर्दगीनामा निरस्त समझा जावे, अपील की दशा में माननीय अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

12. अभियुक्तगण की यदि कोई निरोध अवधि हो तो इस संबंध में दफ़्तर की धारा 428 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

13. प्रकरण में कोई संपत्ति जब्त नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित
कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश